<u>प्रेस नोट</u>

<u>जनपद सीतापुर</u>

<u>धर्म की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले दो अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार</u>

थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में दि0 27.08.2020 को पंडित दिलीप कुमार पाठक को गीता पाठक नि0 ग्राम टेरवा मनिकापुर थाना रामपुर मथुरा द्वारा अनुष्ठान पूरा होने पर करार किये गये 9 लाख रुपये अदा करने पर रुपयो में कूपन वाली नोट निकलने पर पंडित दिलीप उपरोक्त द्वारा थाना रामपुर मथुरा पर दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं 281/20 धारा धारा 419/420/504/352/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 281/20 धारा 419/420/504/352 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.गीता पाठक पत्नी हुलासी राम पाठक 2. बृजकिशोर सिंह उर्फ गुलाबी पुत्र स्व0 स्वामी सिंह नि0गण टेरवा मनिकापुर थाना रामपुर मथुरा को दिनांक 28.08.2020 को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके पास से एक बंडल में 500 के कूपन की 100-100 की संख्या की दो गड्डी व 200 की कूपन की 100 संख्या की एक गड्डी व1200/- रुपये नगद एवम् 02 चार पहिया वाहन महिन्द्रा स्कार्पियो व इण्डिका कार बरामद की गयी जिन पर अभियुक्तगणों द्वारा गाड़ियों के एक ही नम्बर प्लेट पर आगे व पीछे अलग –अलग नम्बर पाये जाने पर धारा 467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तो से पुलिस द्वारा सघन पूँछताछ की गयी तो अभियुक्तगणों द्वारा अपने गैंग में 1. हुलासीराम पाठक पुत्र स्व0 मूलचन्द्र उर्फ मूले नि0 ग्राम टेरवा मजरा टेरवा मनिकापुर थाना रामपुर मथुरा सीतापुर 2.नीरज सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह नि0 ग्राम ललवापुर थाना पिसांवा जनपद सीतापुर 3.आदर्श चौधरी पुत्र प्रह्लाद चौधरी नि0 राजापुर जनपद लखीमपुर खीरी 4.विक्रान्त मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा नि0 ग्राम विकासनगर खूबपुर थाना रामकोट

जनपद सीतापुर का भी शामिल होना बताया गया। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गीता पाठक उपरोक्त एवं उनके परिजनों के विरूद्ध जनपद सीतापुर के थाना थानगांव, रामपुर मथुरा में तथा जनपद लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में एवं बिहार प्रान्त के जनपद गोपालगंज में भी अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्ता गीता पाठक उर्फ माता जी पत्नी हुलासी पाठक ग्राम टेड़वा मनकापुर थाना रामपुर मथुरा एक शातिर किस्म की महिला है, जो अपने गैंगे के सदस्यो के साथ लोगो की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित कर उनको विभिन्न प्रकार के लाभ आदि देने के नाम पर पूजा-पाठ हेतु धोखाधड़ी कर पैसा लेती है। इनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रांतो में भी फैला हुआ है। अभियुक्ता गीता पाठक उपरोक्त व उसके गैंग के साथियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जायेगी।

<u>संक्षिप्त विवरण</u>-दिनांक 27.08.2020 को थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र से सूचना मिली कि गीता पाठक पत्नी गुलासी राम पाठक ग्राम खेरवा मनका थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर ने लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन कराया। अनुष्ठान आयोजन हेतु गीता पाठक उपरोक्त द्वारा पंडित दिलीप कुमार पाठक पुत्र शिवराज पाठक नि0 ग्राम गंगापुर थाना रूपडिहा जनपद बहराइच को 09 लाख रुपये अनुष्ठान करने हेतु करार किया था। दिनांक 27.08.2020 को पंडित दिलीप कुमार पाठक जब अनुष्ठान पूर्ण होने पर करार की गयी धनराशि मांगने गये तो उन्हे दो हजार, पांच सौ, सौ, दस की नोट के ऊपर व नीचे वास्तविक भारतीय मुद्रा लगाकर मध्य में 5,53,600 (पांच लाख तिरपन हजार छः सौ) के कूपन वाली नोट जिस पर "चिल्ड्रेन बैंक आफ इंडिया", "भारतीय बच्चों का बैंक" आदि अंकित है, दिया गया था। जिस संबंध में वादी पंडित दिलीप कुमार पाठक उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर गीता पाठक के विरुद्ध थाना रामपुर मथुरा में मु0अ0सं0 281/20 धारा 419/420/504/352/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है।

- **<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण :</u>**

1. गीता पाठक पत्नी हुलासी राम पाठक
2. बृजकिशोर सिंह उर्फ गुलाबी पुत्र स्व0 स्वामी सिंह नि0 उपरोक्त

<u>बरामदगी-</u>

1. कुल 6,73,600/- रुपये के कूपन जिन पर "चिल्ड्रेन बैंक आफ इंडिया", "भारतीय बच्चों का बैंक" आदि अंकित है।
2. 2,030/- रुपये की नोट।
3. एक चार पहिया वाहन महिन्द्रा स्कार्पियो जिस पर एक तरफ UP32DK 6525 व दूसरी तरफ UP23DK 2565 लिखा है।
4. एक चार पहिया वाहन इण्डिका कार जिस पर एक तरफ UP 34 L 8292 व दूसरी तरफ UP 43L 2829 लिखा है।

- **<u>गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम :-</u>**

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा
2. उप निरीक्षक श्री सुब्बा चौहान
3. हे0का0 सीताराम भारती
4. आरक्षी कुलदीप सिंह
5. म0 आरक्षी सुमन प्रजापति
6. म0 आरक्षी रचना चौधरी

- **<u>आपराधिक इतिहासः-</u>**

1. मु0अ0सं0 398/09 धारा 420 भादवि थाना थानगांव, सीतापुर।
2. मु0अ0सं0158/11 धारा 420/506 भादवि थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर ।
3. मु0अ0सं0150/13 धारा 406/420/120B भादवि थाना कुचायकोट गोपालगंज, बिहार।
4. मु0अ0सं0386/13 धारा 406/120B भादवि थाना तरयासुजानपुर, कुशीनगर।
5. मु0अ0सं0 21/14 धारा 406/420/323/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 281/20 धारा 419/420/504/352 भादवि थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर।
7. मु0अ0सं0 282/20 धारा 188/269 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना रामपुर मथुरा, सीतापुर

थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर